प्रेस नोट
दिनांक 25.12.2025

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम संचालितः-

गोण्डा। आज दिनांक 25.12.2025 को शासन की मंशा के अनुरूप बाल विवाह की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम, समुदाय स्तर पर शून्य सहनशीलता का वातावरण विकसित करने, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बालिकाओं एवं बालकों के संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 27 नवम्बर 2025 से 08 मार्च 2026 (100 दिवसीय) तक संचालित "बाल विवाह मुक्त भारत अभियान" के अंतर्गत जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उक्त अभियान को सफल बनाये जाने के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल के आदेशानुसार तथा नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) महोदय एवं क्षेत्राधिकारी सदर महोदया सुश्री शिल्पा वर्मा के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में थाना एएचटी (एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट) की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायत चन्दवतपुर स्थित श्रीमती श्याम कुंवरि इण्टर कालेज जनपद गोण्डा में छात्र - छात्राओं के मध्य जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरुकता कार्यक्रम के दौरान छात्र-छात्राओं को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक दुष्परिणामों के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई तथा यह बताया गया कि बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि कानूनन दण्डनीय अपराध भी है। बाल विवाह से बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भविष्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण से संबंधित कानूनों, सरकारी योजनाओं एवं हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों द्वारा छात्र-छात्राओं को यह भी अवगत कराया गया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की तैयारी अथवा घटना की जानकारी प्राप्त होती है, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 अथवा संबंधित विभागों को देकर समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने में सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने एवं किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अवैधानिक गतिविधि के विरुद्ध निर्भीक होकर आवाज उठाने हेतु प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान प्रभारी निरीक्षक लालबिहारी (थाना एएचटी), उप निरीक्षक गऊचरन, शाखा एसजेपीयू से प्रभारी निरीक्षक प्रियंका मिश्रा, महिला आरक्षी सुनैना वर्मा तथा अपराजिता सामाजिक समिति, गोण्डा से श्री आत्रेय त्रिपाठी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेसनोट
दिनांक 25.12.2025

थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते 04 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से एक कार सफेद रंग मारुति स्विफ्ट, रुपए 8000/- नगद एवं चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 263/25 धारा 303(2) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस से संबंधित 04 शातिर चोरों 01. चांद बाबू पुत्र ननकू 02. चांद अली पुत्र स्व० अकबर अली 03. उस्मान पुत्र सफी मोहम्मद नि0गण बहराइच रोड तिवारीपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा व 04. सैफी पुत्र राजू नि0 महाराजगंज कांशीराम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को चोरी की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक कार सफेद रंग मारुति स्विफ्ट, चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण व रु0 8000/- नगद बरामद किये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-
आज दिनांक 24/25.12.2025 की रात्रि में थाना कटरा बाजार के उ0नि0 शिवम गुप्ता मय हमराह रात्रिगस्त व क्षेत्र में भ्रमणशील थे, तभी सूचना प्राप्त हुई कि हलधरमऊ रेलवे क्रासिंग से लगभग 100 मीटर पहले पुलिया से कच्चे रास्ते पर खड़ी एक कार के पास झाड़ियों में कुछ लोग चोरी की योजना बना रहे हैं। सूचना पर उ0नि0 शिवम गुप्ता मय फोर्स मौके पर पहुंचकर अभियुक्त 01. चांद बाबू पुत्र ननकू 02. चांद अली पुत्र स्व० अकबर अली 03. उस्मान पुत्र सफी मोहम्मद नि0गण बहराइच रोड तिवारीपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा व 04. सैफी पुत्र राजू नि0 महाराजगंज कांशीराम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया तथा जामा तलाशी पर चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण 1 अदद तार कटर, 1 अदद पिलास, 2 अदद पेचकस, 2 अदद लोहे की ब्लेड धारदार, 1 अदद लोहे की राड, 1 अदद चाभी का गुच्छा, 2 अदद प्लास्टिक की टार्च, रुपए 8000/ नगद व 1 अदद कार सफेद रंग मारुति स्विफ्ट आदि बरामद किया गया है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तगणों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि वे चोर हैं और वहाँ खड़े होकर किसी बड़े मकान में चोरी करने की योजना बना रहे थे कि पुलिस द्वारा चोरी योजना बनाते समय पकड़ लिया गया । पूछताछ में एक सप्ताह पहले कटरा बाजार पशु अस्पताल में खडी एम्बुलेंस की 2 बैटरी चोरी की थी जिसे नेपाल ले जाकर 12000/- रुपये मे बेच दिये थे। बेचने से मिले रूपयों मे 4000/- रूपये खाने पीने मे खर्च कर दिये। शेष रुपयों को आपस में बांट लिया था जो आप लोगों ने बरामद किये यह वही बैटरी चोरी करने पर मिला पैसा है। इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाकर चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. चांद बाबू पुत्र ननकू (उम्र करीब 32 वर्ष)
02. चांद अली पुत्र स्व० अकबर अली (उम्र करीब 35 वर्ष)
03. उस्मान पुत्र सफी मोहम्मद (उम्र करीब 22 वर्ष) नि0गण बहराइच रोड तिवारीपुरवा थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ।

04. सैफी पुत्र राजू (उम्र करीब 20 वर्ष) नि0 महाराजगंज कांशीराम कालोनी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 268/2025 धारा 313 बीएनएस थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 263/25 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

चोरी की घटना में प्रयुक्त होने वाले उपकरण -

01. 1 अदद तार कटर
02. 1 अदद पिलास
03. 2 अदद पेचकस
04. 2 अदद लोहे की ब्लेड धारदार
05. 1 अदद लोहे की राड
06. 1 अदद चाभी का गुच्छा
07. 2 अदद प्लास्टिक की टार्च
08. रुपए 8000/ नगद
09. 1 अदद कार सफेद रंग मारुति स्विफ्ट (UP 50 AN 1259)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शिवम गुप्ता मय हमराह
02. उ0नि0 राधेश्याम गुप्ता
03. हे का भारत सिंह
04. का० उपेन्द्र सिंह
05. का० मणिकांत

मीडिया सेल, गोण्डा।